92/2021।/89359/2021-71-2099/783/2021

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलपति,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक** 16 **अगस्त**, 2021

विषय-कोविड-19 **के दृष्टिगत् चालू वित्तीय वर्ष** 2021-22 **में के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ हेतु उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-1338/ **वित्त एवं लेखा/ क्रय**/2021**, दिनांक 08-07-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।**

2- **अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या**- 48/2021/576/71-2-21-**के0जी0एम0यू0**-63/2017, **दिनांक** 20.04.2021 **के द्वारा वित्तीय वर्ष** 2021-22 **हेतु उपकरणों की सूची अनुमोदित करते हुए उक्त उपकरणों के क्रय हेतु चालू वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ हेतु मानक मद '**26-**मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र' में प्राविधानित धनराशि रू**0 4500.00 **लाख के सापेक्ष रू**0 620.49453 **लाख (रूपया छः करोड़ बीस लाख उन्चास हजार चार सौ तिरपन मात्र) अवमुक्त किए जाने की स्वीकृति निर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी थी।**

3- **कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 के पत्रांक**-619/**वित्त एवं लेखा/क्रय**/2021**, दिनांक** 24.05.2**021 के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 20.04.2021 द्वारा स्वीकृत उपकरणों में से कुछ यूनिट की आपूर्ति डोनेशन के माध्यम से प्राप्त किये जाने के कारण उनकी संख्या को कम करते हुये उपकरणों की आपूर्ति प्राप्त किये जाने हेतु क्रय आदेश निर्गत किये गये हैं, जिसकी धनराशि रू0 413.81773 लाख है।**

4- **इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक** 08.07.2021 **पर सम्यक विचारोपरांत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में के0जी0एम0यू0 के 26- मशीन और सज्जा / उपकरण और संयन्त्र मद में प्रावधानित धनराशि रू0 4500.00 लाख के सापेक्ष उक्त शासनादेश संख्या**-48/2021/576/71-2-21-**के0जी0एम0यू0**-63/2017 **दिनांक 20.04.2021 द्वारा स्वीकृति धनराशि रू0 620.49453 लाख के स्थान पर संशोधित धनराशि रू0 413.81773 लाख अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल एतदद्वारा प्रदान करते हैं।**

5- इस सीमा तक शासनादेश संख्या-48/2021/576/71-2-21-**के0जी0एम0यू0**-63/2017 **दिनांक 20.04.2021 को संशोधित समझा जाएगा तथा इसमें उल्लिखित शर्तें/प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगे।**

भवदीय,

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- उपरोक्तानुसार-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।